फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

वाद पत्र– **अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट** 136 एल आर एक्ट मु.नं. 47/सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.06.2019	यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उप तहसीलदार सालासर से प्राप्त हुआ। वाद पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीनी सन्तोष पत्नी अर्जुनराम जाति जाट निवासी भीमसर वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट 136 एल आर एक्ट पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम भीमसर की जमाबन्दी संवत 2073–76 खाता सख्या 102/ मेरे पति का नाम अर्जुनराम तथा अर्जुनलाल लिखा हुआ है वादिया के पति का सही नाम अर्जुनराम पुत्र हरकाराम है अतः राजस्व रिकार्ड में वादिया के पति का नाम अर्जुनराम पुत्र हरकाराम दर्ज करने की कृपा करें। पत्रावली का अवलोकन किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक भींवसर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सुजानगढ की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट 136 एल आर एक्ट के अनुसरण में ग्राम भीमसर तहसील सुजानगढ़ व जिला चूरू की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 में पुराना खाता संख्या 189 नया खाता संख्या 102 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्व किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैः–	सन्तोष

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्व प्रविष्टि)	आदेश (शुद्व प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जानी है)
1	भीमसर	102/189	अर्जुनलाल पुत्र हरकाराम हिस्सा 1/200 व अर्जुनराम पुत्र हरकाराम हिस्सा 1/40 जाति जाट निवासी भीमसर खातेदार	अर्जुनराम पुत्र हरकाराम हिस्सा 1/200 व अर्जुनराम पुत्र हरकाराम हिस्सा 1/40 जाति जाट निवासी भीमसर खातेदार

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास में सुनाया गया।

28/06/19

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ़

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ